

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] No. 335] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2005/श्रावण 7, 1927 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2005/SRAVANA 7, 1927

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

(भारतीय रिजर्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 19 जुलाई, 2005

सं. फेमा 136/2005-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( तीसरा संशोधन ) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 513( अ ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की इसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलाएगी।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगी।
- 2. विनियमावली में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में संलग्नक आ में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

_					
	क्षेत्र	निवेश सीमा	क्रियाकलाप/मदों/शर्तों का वर्णन		
	(1)	(2)	(3)	•	

100%

23. टाउनशिप, आवास, निर्मित
बुनियादी सुविधाएं और विनिर्माण
विकास परियोजनाएं। आवास,
वाणिज्यिक परिसर, हॉटेल, रिसॉर्ट
अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं,
मनोरंजन सुविधाएं, शहरी और
क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं
इसमें शामिल होंगी किन्तु इन तक

निवेश निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन होंगे :

- (क) प्रत्येक परियोजना के अधीन विकसित किए जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र निम्न प्रकार होगा:
  - (i) तैयार किए गए आवासीय प्लॉट को विकसित करने के मामले में 10 हेक्टेयर
  - (ii) विनिर्माण के मामले में —विकास परियोजना 50,000 वर्ग मीटर
  - (iii) मिली-जुली परियोजना के मामले में उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई एक
- (ख) निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
  - (i) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं के लिए 10 मिलियन और भारत के साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी के कारबार के शुरू होने के छह महीने के भीतर निधियों को लाना होगा।
  - (ii) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से 3 वर्ष की अवधि से पहले मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर भी, निवेशक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से सरकार के पूर्वानुमोदन से पहले ही प्रस्थान कर सकता है।
- (ग) सांवैधानिक मंजूरी मिलने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के अंदर पिरयोजना के कम से कम 50 प्रतिशत को विकसित किया जाना अनिवार्य है। निवेशक को अविकसित प्लॉट बेचने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (घ) परियोजना लागू भवन नियंत्रण विनियमों, उप-नियमों, नियमों और संबंधित राज्य सरकार/नगर निगम/स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों में यथा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होगी।
- (ङ) सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी निवेशक की होगी जिसमें भवन/लेआऊट प्लान, आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास, विकास, बाह्य विकास और अन्य खर्चों के भुगतान, राज्य सरकार/नगर निगम/संबंधित स्थानीय निकाय के लागू नियमों-उप-विनियमों के तहत यथानिर्धारित अन्य सभी अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल है।

टिप्पणी: विकासकर्ता द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की विनर्माण/विकास योजनाओं को अनुमोदित करने वाले राज्य सरकार/नगर निगर/संबंधित स्थानीय निकाय निगरानी करेंगे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजन हेतु ''अविकसित प्लॉट'' का तात्पर्य होगा जहां निर्धारित विनियमों के तहत यथा लागू सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, नालियां, मलजल निकासी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। निवेशक को तैयार आवासीय प्लॉटों को बेचने की अनुमित देने के पहले यह जरूरी होगा कि निवेशक ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है और संबंधित स्थानीय निकाय/सर्विस एजेंसी से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करता है।

पाद टिप्पणी: मुल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 406(अ) में भाग II. खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात निम्नानसार संशोधित किए गए हैं :--

दिनांक 2-3-2001 का सं. सा.का.नि. 158(अ) दिनांक 13-3-2001 का सं. सा.का.नि. 175(अ) दिनांक 14-3-2001 का सं. सा.का.नि. 182(अ) दिनांक 2-1-2002 का सं. सा.का.नि. 4(अ) दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. 574(अ) दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 225(अ) दिनांक 22-7-2003 का सं. सा.का.नि. 558(अ) दिनांक 23-10-2003 का सं. सा.का.नि. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सं. सा.का.नि. 899(अ)

दिनांक 7-1-2004 का सं. सा.का.नि. 12(अ)

दिनांक 23-4-2004 का सं. सा.का.नि. 278(अ)

दिनांक 16-7-2004 का सं. सा.का.नि. 454(अ)

दिनांक 21-9-2004 का सं. सा.का.नि. 625(अ)

दिनांक 8-12-2004 का सं. सा.का.नि. 799(अ)

दिनांक 1-4-2005 का सं. सा.का.नि. 201(अ)

दिनांक 1-4-2005 का सं. सा.का.नि. 202(अ)

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th July, 2005

No. FEMA. 136/2005-RB

G.S.R. 513(E).—Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2005.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exhange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:

- 1. Short Title and Commencement:—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2005.
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Amendment of the Regulations:—In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 in Annexure B the following shall be added:

	Sector Inve		estment Cap	
	(1)		(2)	
23	Townships, housing, buil	tup	100%	Ī
	infrastructure and constru	ıc-		
	tion development projects	S.		(a
	The sector would include	, but		
not be	e restricted to, housing,			
	commercial premises, hote	els,		
	resorts, hospitals, educati	io-		
	nal institutions, recreation	nal		
	facilities, city and regiona	1		
	level infrastructure			-

- Description of Activity/Items/Conditions (3)
- The investment shall be subject to the following guidelines:
- Minimum area to be developed under each project shall be as (a) under:
  - In case of development of serviced housing plots—10 hectares
  - In case of construction-developmment project --- 50,000 sq. mtrs.
  - In case of combination project, any one of the above two (iii) conditions.
- The investment shall be subject to the following conditions: (b)
  - Minimum capitalization of US \$ 10 Million for wholly owned subsidiaries and US \$ 5 Million for joint ventures with Indian partners. The funds would have to be brought in within six months of commencement of business of the Company.
  - Original investment cannot be repatriated before a period of (ii) three years from completion of minimum capitalization. However, the investor may be permitted to exit earlier with prior approval of the Government through the FIPB.

(1) (2) (3)

- (c) At least 50% of the project must be developed within a period of five years from the date of obtaining all statutory clearances. The investor shall not be permitted to sell undeveloped plots.
- (d) The project shall conform to the norms and standards, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.
- (e) The investor shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying will all other requirements as prescribed under applicable rules/bye-laws/regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.
- (f) The State Government/Municipal/Local Body concerned, which approves the building/development plans, shall monitor compliance of the above conditions by the developer.

Note: For the purpose of these guidelines, "undeveloped plots" will mean where roads, water supply, street lighting, drainage, sewerage, and other conveniences, as applicable under prescribed regulations, have not been made available. It will be necessary that the investor provides this infrastructure and obtains the completion certificate from the concerned local body/service agency before he would be allowed to dispose of serviced housing plots.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. III]

VINAY BAIJAL, Chief General Manager

Footnote: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:

No. G.S.R. 158(E), dated 2-3-2001 No. G.S.R. 175(E), dated 13-3-2001 No. G.S.R. 182(E), dated 14-3-2001 No. G.S.R. 4(E), dated 2-1-2002 No. G.S.R. 574(E), dated 19-8-2002 No. G.S.R. 223(E), dated 18-3-2003 No. G.S.R. 225(E), dated 18-3-2003 No. G.S.R. 558(E), dated 22-7-2003 No. G.S.R. 835(E), dated 23-10-2003

No. G.S.R. 899(E), dated 22-11-2003 No. G.S.R. 12(E), dated 7-1-2004 No. G.S.R. 278(E), dated 23-4-2004 No. G.S.R. 454(E), dated 16-7-2004 No. G.S.R. 625(E), dated 21-9-2004 No. G.S.R. 799(E), dated 8-12-2004 No. G.S.R. 201(E), dated 1-4-2005 No. G.S.R. 202(E), dated 1-4-2005

## शुद्धिपत्र

## मुम्बई, 22 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 514( अ ).—सितम्बर 21, 2004 के सं. सा.का.नि. 625(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय के अगस्त 30, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 122/2004-आरबी में, अंत में आने वाले ''पाद टिप्पणी'' को ''पाद टिप्पणी सं. 1'' संख्या दी जाए तथा उक्त ''पाद टिप्पणी सं. 1'' के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाए, अर्थात्,—

''पाद टिप्पणी सं. 2 : यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

[सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड 3]

विनय बैजल, मुख्य महाप्रबंधक

### **CORRIGENDUM**

Mumbai, the 22nd July, 2005

G.S.R. 514(E).—In the Notification No. FEMA.122/2004-RB dated August, 30, 2004 of Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 625(E), dated September 21, 2004, the "Foot Note" occurring at the end shall be numbered as "Foot Note No. 1" and the following shall be inserted at the end of the said "Foot Note No. 1", namely,—

"Foot-note No. 2: It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations."

[No. 1/23/EM/2000-Vol. III] VINAY BAIJAL, Chief General Manager